

प्रेस नोट दिनांक 06.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा-

01 राशि बकरा चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त थाना कुण्डा पुलिस की गिरफ्त में, चोरी का 01 राशि बकरा बरामद घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सीज।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी
थाना कुण्डा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के समापुर महुआतार कुण्डा के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगणों द्वारा वादी का बकरा चोरी कर भाग जाने के प्रकरण में थाना कुण्डा पर मु०अ०सं० 114/25 धारा 303 (2), 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना कुण्डा के उ०नि० देवनारायण चीता 32 मय हमराह द्वारा जनता के सहयोग से देखभाल क्षेत्र के दौरान मु०अ०सं० 114/2025 धारा 303 (2) , 317 (2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. दिलराज पुत्र श्यामलाल निवासी बाघराय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ 2. अजयकान्त शुक्ला पुत्र महारानीदीन शुक्ला निवासी ग्राम मलवा छेदईपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के 01 राशि बकरा के साथ थानाक्षेत्र कुण्डा के समापुर महुआतार कुण्डा के पास से जनता के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिलराज पुत्र श्यामलाल निवासी बाघराय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
2. अजयकान्त शुक्ला पुत्र महारानीदीन शुक्ला निवासी ग्राम मलवा छेदईपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

चोरी का 01 राशि बकरा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० देवनारायण चीता 32 मय हमराह द्वारा जनता के सहयोग से थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी दुष्कर्म करने व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के कंधेरुआ चौराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.02.2025 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में धारा 64, 333, 352, 351(2) बी0एन0एस0 व 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध, एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज उ0नि0 श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह मय हमराह हे0कां0 शिशुपाल सिंह द्वारा अभियुक्त मनीष पटेल पुत्र रामविशाल पटेल निवासी ग्राम कंधेरुआ ककरहिआ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र नवाबगंज के कंधेरुआ चौराहा के पास गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मनीष पटेल को धारा 64, 333, 352, 351(2) बी0एन0एस0 व 3(2)5, 3(1)द, 3(1)ध, एससी/एसटी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- मनीष पटेल पुत्र रामविशाल पटेल निवासी ग्राम कंधेरुआ ककरहिआ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह मय हमराह हे0कां0 शिशुपाल सिंह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी थाना लीलापुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में- बाल अपचारी को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिराहे के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 19.04.2025 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बासूपुर पौडिया वादी के पुत्र को आरोपीगणों द्वारा मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0स0 59 / 25 धारा-

191(1)/115 (2) /351(2)/352/109(1)/324 (4) बीएनएस बनाम 05 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ड० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना लीलापुर प्रभारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० गिरीश धर दूबे मय हमराह का० अनिल सिंह यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर के मु०अ०स० 59 / 25 धारा- 191(1)/115 (2) /351(2)/352/109(1)/324 (4) बीएनएस से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना लीलापुर क्षेत्रांतर्गत हण्डौर तिराहे के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पुलिस टीम-

उ०नि० गिरीश धर दूबे मय हमराह का० अनिल सिंह यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज-

बीट आरक्षी योगेन्द्र सिंह की सतर्कता से 01 गैंगेस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज के बीट आरक्षी योगेन्द्र सिंह ने गैंगेस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट आरक्षी योगेन्द्र सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना रानीगंज के आरक्षी योगेन्द्र सिंह को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत चिरकुट्टी अन्डरपास के पास से गैंगेस्टर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगेस्टर अभियुक्त हत्या, गैंगेस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी योगेन्द्र सिंह के सहयोग से थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मु०अ०स० 87/25 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त गैंगेस्टर निरज तिवारी पुत्र ओम प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम खेमईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 06.05.2025 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत चिरकुट्टी अन्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगेस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गैंगेस्टर निरज तिवारी पुत्र ओम प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम खेमईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.स. 36/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु.अ.स.371/2023 धारा 323/341/504/506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

3-मु.अ.स. 407/2023 धारा 323/336/504/506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

4-मु.अ.स. 83/2024 धारा 47/307/323/386/504/506 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

5-मु.अ.स.-128/2024 धारा .323/504/506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी / एसटी एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

6-मु0अ0सं0 491/24 धारा 309(4)/317(2)/351(2)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर प्रतापगढ़।

7-मु0अ0सं0 87/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को क्षेत्रान्तर्गत के ग्राम सहिजनी स्थित मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया ।

प्रतापगढ़।

वादिनी के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में अन्तर्गत धारा 64(1)/351 (3) बीएनएस व 3(2) V, 3(2) V क एससी/एसटी एक्ट बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह का0 ध्यानचन्द्र, का0 प्रवीन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 64(1)/351 (3) बीएनएस व 3(2) V, 3(2) V क एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त रामकृष्ण पटेल उर्फ रामकेश पुत्र रजनलाल निवासी ग्राम बंधवा बिजईमऊ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहिजनी स्थित मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामकृष्ण पटेल उर्फ रामकेश पुत्र रजनलाल निवासी ग्राम बंधवा बिजईमऊ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० संजय कुमार मय हमराह का० ध्यानचन्द्र, का० प्रवीन कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।